संख्या-13/2016/767/63-व0उ0-2016-58(एच)/2016

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक,
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग,
उ0प्र0 कानपुर।

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग अनुभाग लखनऊ : दिनांक 10 जून, 2016

विषय:- जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास(सामान्य)योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0-1142/हक0-पा0(सामान्य)/2015-16, दिनांक 09-03-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना की गाइडलाइन्स एतदद्वारा निम्नवत प्रख्यापित की जाती है :-

प्रदेश के परम्परागत पावरलूम उद्योग को आधुनिक पावरलूम में परिवर्तित करने के उददेश्य से **"जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना"** का क्रियान्वयन करने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है। योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों के पुराने एवं परम्परागत पावरलूम के स्थान पर उच्चीकृत पावरलूम स्थापित करा कर उनके आर्थिक व सामाजिक जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराया जायेगा। योजना के अन्तर्गत तकनीकी प्रशिक्षण मद में 100 प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा, पावरलूम स्थापित करने हेतु कार्यशाला निर्माण में रू0 45000/- प्रति कार्यशाला अनुदान एवं शेष धनराशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा एवं उच्चीक़त आधुनिक पावरलूम की स्थापना मदों में 2:1 के अनुपात में लाभ देय होगा। सम्पूर्ण योजना 75:25 के अनुपात में अनुमन्य होगी जिसमें 75 प्रतिशत प्रदेश सरकार तथा 25 प्रतिशत समिति/इकाई/स्वयं सहायता समूह/व्यक्तिगत बुनकरों द्वारा वहन किया जायेगा।

1.2 योजना के घटक :-

प्रेदश के पावरलूम बुनकरों की वर्तमान आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए योजना को चार घटकों/मदों में बॉटा गया है:-

(1) आधुनिक पावरलूम तकनीक सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम
(2) आधुनिक सेमीआटोमेटिक पावरलूम की स्थापना
(3) पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला का निर्माण
(4) प्रचार-प्रसार

1.2(1) आधुनिक पावरलूम तकनीक सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम:-

योजनान्तर्गत पावरलूम बुनकरों/पावरलूम संगठनों के बुनकरों को आधुनिक पावरलूम के संचालन, आधुनिक डिजाइन एवं रंग संयोजन तकनीकी आदि विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम को समाहित कर किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्था जैसे पावरलूम सर्विस सेन्टर अथवा निट्रा से पावरलूम बुनकरों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जायेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम पर प्रति प्रशिक्षणार्थीकुल धनराशि रू0 5000/- व्यय होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रति पावरलूम इकाई/समिति के अधिकतम 04 लाभार्थियों को प्रशिक्षित कराया जायेगा। इस हेतु रू0 20000/- की

http://shasanadesh.up.nic.in

आवश्यकता होगी। जिसे राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। व्यक्तिगत बुनकर के लाभार्थी होने की दशा में एक बुनकरों को ही प्रशिक्षण मद का लाभ दिया जायेगा। इस हेतु रू0 5000/- की आवश्यकता होगी। जिसे राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

1.2(2) आधुनिक सेमी आटोमेटिक पावरलूम की स्थापना :-

पावरलूम बुनकरों/पावरलूम संगठनों के बुनकरों को सेमी आटोमैटिक पावरलूम (सह उपकरणों सहित) खरीद करने हेतु रू0 1,00,000/- प्रति पावरलूम की दर से अनुदान राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। सेमी आटोमैटिक पावरलूम की अनुमानित बाजार दर रू0 1,50,000/- है।

इस प्रकार लाभार्थी बुनकर/संस्था का बुनकर/यूनिट का बुनकर अपने स्रोतो से रू0 50000/- का वहन करेगा। योजनान्तर्गत एक पावरलूम इकाई के बुनकर/समिति के बुनकर/स्वयं सहायता समसूह के बुनकर को अधिकतम 02 सेमी आटोमैटिक पावरलूम वित्तीय वर्ष में खरीद करने का लाभ प्रदान किया जायेगा। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के लाभार्थी होने की दशा में एक बुनकर को 01 सेमी आटोमैटिक पावरलूम खरीद करने का लाभ प्रदान किया जायेगा। किसी भी व्यक्तिगत बुनकर/संस्था के बुनकर/इकाई के बुनकर/स्वयं सहायता समूह के बुनकर को पुन: तीन वित्तीय वर्षो तक योजना से लाभान्वित नहीं कराया जायेगा।

1.2(3) पावरलूम स्थापना हेतु कार्यशाला का निर्माण:-

कार्यशाला निर्माण हेतु सेमी आटोमेटिक पावरलूम के स्थापना के लिए 150 वर्ग फीट एरिया के सापेक्ष धनराशि रू0 300/- प्रति वर्गफुट की दर से अधिकतम रू0 45000/- की वित्तीय सहायता राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। एक पावरलूम इकाई के बुनकर/समिति के बुनकर/स्वयं सहायता समूह के बुनकर को अधिकतम 02 पावरलूम कार्यशाला निर्माण का लाभ देय होगा। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के लाभार्थी होने की दशा में 01 पावरलूम कार्यशाला निर्माण हेतु लाभ अनुमन्य होगा।

भूमि उपलब्धता :-

कार्यशाला निर्माण हेतु कार्यान्वयन एजेन्सी यह सुनिश्चित करेगी कि भूमि का अधिकार/मिल्कियत/स्वामित्व लाभार्थी बुनकर का ही है, इसकी पुष्टि संबंधित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा स्थलीय स्त्यापन कर की जायेगी। लाभार्थी बुनकर के पास दर्शायी गयी भूमि, स्वयं की भूति, भूमिधरी, पटटे की अथवा आबादी की है। इस आशय का प्रमाण-पत्र संबंधित लाभार्थी बुनकर से नोटरी शपथनामा पर लिया जायेगा।

1.2(4) प्रचार-प्रसार :-

प्रचार-प्रसार मद में रू0 40 हजार राज्यांश के रूप में अनुदान तथा रू0 10 हजार बुनकर अंश के रूप में प्रति इकाई/समिति/स्वयं सहायता समूहों को यह लाभ दिये होगा। (व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर को प्रचार-प्रसार मद का लाभ देय नहीं होगा) प्रचार-प्रसार के माध्यम से भारतीय बाजार एवं वैश्विक मांग के अनुरूप वर्तमान फैशन के परिवेश में नई डिजाइन एवं नये कलर कम्बीनेशन के वस्त्रों का उत्पादन कराया जायेगा। जिससे विपणन को अत्यधिक बढ़ावा मिलेगा।

1.3 कार्यान्वयन एजेन्सी :- **(1) पावरलूम बुनकर सहकारी समितियां**

(2) विभाग द्वारा पंजीकृत पावरलूम एस0एस0आई0 यूनिट

(3) पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह

(4) पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप

(5) व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर

http://shasanadesh.up.nic.in

1.4 <u>कार्यान्वयन एजेन्सियों की पात्रता :-</u>

योजनान्तर्गत निम्नलिखित कार्यान्वयन एजेन्सियां सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र होगी :-

(क) प्रदेश की प्राथमिक पावरलूम सहकारी समितियां

(जिनका 3 वर्षो का आडिट पूर्ण हो/निर्वाचित संचालक मण्डल हो)

(ख) पावरलूम एस0एस0आई0यूनिटें (जिनका पंजीयन हथकरघा विभाग द्वारा हो जो एक वर्श पूर्व की पंजीकृत हो तथा आडिट की स्थिति पूर्ण हो)

(ग) पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह/पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप (ऐसे पावरलूम समूह जो कम से कम एक वर्ष पूर्व से कार्य कर रहा हो, उसका बैंक खाता खुल गया हो तथा समूसह के सदस्यो का अंशदान नियमित जमा हो रहा हो एवं समूह से सम्बन्धी समस्त कागजात पूर्ण हो। (ऐसा पावरलूम स्वयं सहायता समसूह जिसकी कार्यशील पूँजी हेतु शाखा सीमा ऋण बैंक द्वारा स्वीकृत हो, को वरीयता प्रदान की जायेगी)

(घ) व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर (ऐसे व्यक्गित पावरलूम बुनकर जिनके पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र हो, किसी भी प्रकार की शासकीय बकायेदार न हो, जो किसी प्रकार से विवादित एवं कदाचार में लिप्त न हो, अर्थात बुनकर समग्र रूप से पात्रता की श्रेणी में हो। योजना के अनुरूप स्वयं का अंशदान लगाने में सक्षम हो।

(ड) पावरलूम सहकारी समितियों/एस0एस0आई0 यूनिटें/ पावरलूम बुनकर स्वयं सहायता समूह/ पावरलूम सम्बन्धी ज्वाइंट लाइबिलटीज ग्रुप के बुनकर/व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर के पास विद्युत कनेक्शन एवं भूमि अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

1.5 <u>लाभार्थी पावरलूम बुनकर की पात्रता:-</u>

1.5 (1) पावरलूम बुनकर की आयु 18 वर्ष से कम न हो और बुनाई कार्य से भिज्ञ हो।

1.5 (2) बुनकर पावरलूम वस्त्र उत्पादन में कार्यरत हो।

1.5 (3) ऐसे पावरलूम बुनकर जो आधुनिक पावरलूम खरीदने एवं कार्यशाला निर्माण हेतु स्वयं का अंश लगाने में सक्षम हो। जिसका आंकलन परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा योजना का प्रस्ताव तैयार कराने से पूर्व करेंगे।

1.5 (4) पावरलूम बुनकर के पास पावरलूम बुनकर परिचय पत्र/विद्युत विभाग द्वारा निर्गत पावरलूम विद्युत प्रतिपूर्ति की पासबुक होना चाहिए।

1.5 (5) पावरलूम बुनकर के पास आधार कार्ड/फोटोयुक्त राश्न कार्ड/फोटोयुक्त वोटर कार्ड होना चाहिए।

1.5 (6) भूमि/जमीन स्वयं कार्यान्वयन एजेन्सी के बुनकर/यूनिट के बुनकर/लाभार्थी बुनकर के स्वामित्व की होनी चाहिए।

1.6 <u>योजना का प्रस्ताव तैयार करना :-</u>

कार्यान्वयन एजेन्सी योजना के प्रारूप, दिशा निर्देश, चेकलिस्ट आदि में उल्लिखित सभी शर्तो एवं पात्रता का गहन अध्ययन कर योजना का प्रस्ताव निर्दिष्ट निम्न प्रपत्रों/प्रमाण-पत्रों को संलग्न करते हुए तीन प्रतियों में तैयार कर सम्बन्धित परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में प्रस्तुत करेगी।

1.6(1) जनेश्वर मिश्र पावरलूम उद्योग का विकास (सामान्य) योजना की चेक लिस्ट संलग्न है। परिशिष्ट(प्रारूप-क)

1.6(2) कार्यान्वयन एजेन्सी का ब्योरा संलग्न है। परिशिष्ट(प्रारूप-(ख)

1.6(3) योजना प्रस्ताव का प्रोफार्मा संलग्न है। परिशिष्ट(प्रारूप-ग)

1.6(4) योजना का वित्तीय स्रोत संलग्न है 1 परिशिष्ट(प्रारूप-घ)

http://shasanadesh.up.nic.in

1.6(5) योजना के प्रस्ताव में उन्हीं मदों में वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है, जिनमें इसके पूर्व तीन वर्षो के अन्दर प्रदेशर सरकार/भारत सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तगर्त संबंधित लाभार्थी को आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं करायी गयी है अर्थात दोहरीकरण नहीं हो रहा है। इस आशय का प्रमाण-पत्र परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा स्वयं दिया जायेगा1

1.6(6) कार्यान्वयन एजेन्सी के कदाचार में लिप्त न होने तथा समग्ररूप से पात्र होने सम्बन्धी परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

1.6(7) कार्यान्वयन एजेन्सी के बकायेदार न होने का परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

1.6(8) कार्यशाला निर्माण मद के अन्तर्गत निर्धारित मानक के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी/लाभार्थी बुनकर के पास स्वयं के स्वामित्व की जमीन/भूमि है, का स्थलीय निरीक्षण/अवलोकन के पश्चात् परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।

1.6(9) कार्यशाला निर्माण मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि से अधिक धनराशि व्यय होती है तो कार्यान्वयन एजेन्सी/कार्यान्वयन एजेन्सी का बुनकर/व्यक्तिगत लाभार्थी बुनकर बैंक ऋण द्वारा अथवा स्वयं अपने संसाधनों से वहन करेगा। लाभार्थी को इस आशय का शपथ-पत्र भी देना होगा कि अतिरिक्त धनराशि वह अपने स्रोतों से वहन करेगा।

1.7 <u>योजनान्तर्गत प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण :-</u>

कार्यान्वयन एजेन्सी, परियोजना प्रस्ताव तैयार कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात परिक्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रस्ताव की अन्य आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति एवं भौतिक सत्यापन/परीक्षणआदि की कार्यवाही पूर्ण कर सन्तुष्ट हो जाने के पश्चारत योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति के स्तर पर समीक्षा/ परीक्षण कर संस्तुति किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति :- जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति निम्नवत होगी :-

1. परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा .....अध्यक्ष
2. संबंधित जनपद के रेशम विभाग/खादी ग्रामोद्योग विभाग के अधिकारी अथवा उनका प्रतिनिधि .....सदस्य
3. संबंधित जनपद के निकटतम पावरलूम सर्विस सेन्टर/निट्रा का प्रतिनिधि .....सदस्य
4. संबंधित जनपद के दो पावरलूम बुनकर/स्थानीय पावरलूम एसोसियेशन के प्रतिनिधि .....सदस्य
5. संबंधित जनपद के अधीक्षक(वस्त्र/उत्पादन)/वस्त्र निरीक्षक/पावरलूम निरीक्षक/परीक्षक .....सदस्य/सचिव

योजना के सफल क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति, परियोजना मदों में वांछित सहायता उपलब्ध कराने हेतु स्वयं निर्णय लेगी कि लाभार्थी बुनकरों की आवश्यकतानुसार उन्हें इस सुविध का लाभ दिया जाये अथवा नहीं और परियोजना प्रस्तावों पर सम्यक विचार करते हुए निर्धारित मदवार, लाभार्थी संख्या, राज्यांश, बुनकर अंश/कार्यान्वयन एजेन्सी का अंश आदि विवरण के साथ प्रत्येक योजना के प्रस्तावों के परीक्षण/निरीक्षण/समीक्षा कर उस पर अपना अभिमत अंकित कर संस्तुति करेगी। तदोपरान्त बैठक की कार्यवृत्त की छाया प्रति प्रत्येक योजना प्रस्ताव के साथ संलग्न कर परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा दो प्रतियों में निदेशालय को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जायेगा।

1.8 राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति:- जिला स्तरीय प्रोजेक्ट समिति की संस्तुति के उपरान्त निदेशालय को प्राप्त पावरलूम प्रस्तावों का निदेशालय स्तर पर परीक्षणोपरान्त उचित पाये गये योजना के प्रस्ताव राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति निम्नवत् होगी :-

http://shasanadesh.up.nic.in

1- आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर .....अध्यक्ष
2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य हथकरघा निगम/यूपिका के अधिकारी अथवा उनके प्रतिनिधि.....सदस्य
3- केन्द्रीय वस्त्र प्रोद्योगिकी संस्थान, कानपुर के निदेशक अथवा उनके प्रतिनिधि .....सदस्य
4- नजदीकी पावरलूम सर्विस सेन्टर/निट्रा का प्रतिनिधि .....सदस्य
5- वित्त नियंत्रक, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर .....सदस्य
6- पावरलूम संगठन के दो प्रतिनिधि .....सदस्य
7- योजनाधिकारी, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, उ0प्र0 कानपुर .....सदस्य/ सचिव

उपरोक्तानुसार योजना के सफल क्रियान्वयन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए पावरलूम प्रोजेक्ट पर जिला स्तरीय कमेटी की संस्तुति के उपरान्त प्रस्तावों को आयुक्त एवं निदेशक, हथकरघा की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त उचित पाये जाने पर मदवार संकलित विवरण तैयार कर प्रस्तावों को स्वीकृति हेतु शासन को प्रेषित किया जायेगा।

1.9 योजना का अनुश्रवण :- पात्र पावरलूम बुनकरों के चयन, योजना तैयार करा कर प्रस्तुत कराने के साथ-साथ योजना को पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करा कर उसके उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषण आदि का अनुश्रवण परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग द्वारा किया जायेगा।

1.10 योजनान्तर्गत बजट व्यवस्था :- योजना के प्रारम्भिक वर्ष 2016-17 में 15 करोड़ की अजट व्यवस्था शासन द्वारा की गयी है। योजना के आगामी वर्षो में पावरलूम बुनकरों को लाभान्वित कराने हेतु वित्तीय वर्ष में व्यय हेतु बजट का प्राविधान कराया जायेगा। परिक्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण करने पर राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट समिति में उपयुक्त पाये गये प्रस्तावों के अनुसार शासन से बजट की स्वीक़ति हेतु मांग की जायेगी। शासन से धनराशि की स्वीक़ति होने के उपरान्त धनराशि का आहरण कोषागार से किया जायेगा। कोषागार से धनराशि आहरित कर लाभार्थी इकाईयों/बुनकरों के खाते में सीधे आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से भेजी जायेगी।

1.11 योजना के क्रियान्वयन सम्बन्धी दिशा निर्देश:-

1.11 (1) प्रशिक्षण का कार्य किसी सरकारी/मान्यता प्राप्त संस्था जैसे पावरलूम सर्विस सेन्टर/निट्रा द्वारा कराया जायेगा।

1.11 (2) प्राथमिक पावरलूम बुनकर सहकारी समितियों या पावरलूम यूनिट को प्रशिक्षण मद में प्राप्त धनराशि परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग की संस्तुति पर प्रशिक्षण देने वाली संस्था को उपलब्ध कराया जायेगा और उन्हीं के पर्यवेक्षण में प्रशिक्षण मद की धनराशि आवश्यकतानुसार व्यय की जायेगी।

1.11 (3) सेमी आटोमेटिक पावरलूम, क्रय हेतु लाभार्थी बुनकर का अंश कार्यान्वयन एजेन्सी के खाते में जमा होने के पश्चात ही परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। व्यक्तिगत पावरलूम बुनकर की दशा में बुनकर अंश योजना संचालन हेतु खोले गये खाते में जमा होने के पश्चात परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा राज्यांश की धनराशि अवमुक्त की जायेगी। संबंधित फर्म को अन्तिम भुगतान पावरलूम अथवा एसेसरीज आदि की आपूर्ति सुनिश्चित हो

http://shasanadesh.up.nic.in

जाने के पश्चात ही परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त की अनुमति के उपरान्त किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा टेक्नालोजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (टफस) के अन्तर्गत चिन्हित पावरलूम निर्माण करने वाली किसी भी फर्म से आपूर्ति ली जायेगी। भारत सरकार से चिन्हित पावरलूम निर्माण फर्म के अतिरिक्त अन्य हीं से पावरलूम की आपूर्ति नहीं ली जायेगी।

1.11 (4) कार्यान्वयन एजेन्सी को योजना मदों में स्वीकृत /अवमुक्त धनराशि कार्यान्वयन एजेन्सी के खाते में सीधे **NEFT** द्वारा जमा करायी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि के आहरण सम्बन्धी कार्यवाही परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा के पर्यवेक्षण एवं सहमति से किया जायेगा। प्रोजेक्ट स्वीकृत के साथ ही कार्यान्वयन एजेन्सी का बैंक खाता संख्या एवं विवरण निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

1.11 (5) कार्याशाला निर्माण हेतु लाभार्थी बुनकर को स्वीक़त धनराशि योजना के अनुसार उपलब्ध करायी जायेगी। यदि कार्यशाला निर्माण की लागत राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी गयी वित्तीय सहायता से अधिक आती है तो अतिरिक्त धनराशि को स्वयं लाभार्थी बुनकर द्वारा अपने संशाधनों अथवा बैंक/वित्तीयस संस्था को ऋण लेकर वहन करना होगा। लाभार्थी बुनकर अनुदान की 50 प्रतिशत धनराशि प्रथम किश्त में बैंक खाते से आहरित करेगा। आधा निर्माण कार्य पूर्ण होने पर शेष 50 प्रतिशत धनराशि द्वितीय किश्त में आहरित करेगा। निर्माण कार्य को पूर्ण करने के उपरान्त शत प्रतिशत धनराशि के व्यय की पुष्टि कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा की जायेगी जिसका सत्यापन सम्बन्धित परिक्षेत्र के औद्योगिक पर्यवेक्षक/वस्त्र निरीक्षक द्वारा किया जायेगा। जिसका पर्यवेक्षण सहायक आयुक्त हथकरघा करेंगे। कार्यशाला का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यशाला पर योजना का नाम, बुनकर का नाम व निर्माण वर्ष अनिवार्य रूप से अंकित कराया जायेगा। कार्यशाला के साथ बुनकर का फोटोग्राफ उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

1.11 (6) योजना का प्रस्ताव स्वीकृत होने पर उसमें सम्मिलित किसी एक मद का समर्पण स्वीकार नहीं होगा। यदि समर्पण करना आवश्यक हो तो योजनान्तर्गत स्वीकृत समस्त मदों की सम्पूर्ण की धनराशि समर्पित की जायेगी। अपवाद के रूप में यदि किसी मद की धनराशि को समर्पित करने की आवश्यकता पड.ती है तो उसके उपयोग न हो पाने के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए निदेशालय से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के पश्चात संबंधित मद की धनराशि समर्पित की जायेगी।

1.11 (7) लाभार्थी बुनकरों/कार्यान्वयन एजेन्सी के खाते में जमा करायी गयी योजना के मदों में स्वीकृत धनराशि का सदुपयोग स्वीक़त मद में ही किया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन कराने का उत्तरदायित्व परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा/संबंधित कर्मचारियों के साथ-साथ कार्यान्वयन एजेन्सी/ परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा एवं संबंधित विभागीय कर्मचारी सीधे उत्तरदायी होंगे।

1.11(8) प्रत्येक घटक के अन्तर्गत वास्तविक प्रगति रिपोर्ट (भौतिक एवं वित्तीय) परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा प्रस्तुत की जायेगी।

1.11 (9) कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रेषित करने के पूर्व समस्त बिल, वाउचर एवं प्रगति प्रतिवेदन संलग्न करते हुए सी0ए0 द्वारा आडिट कराया जायेगा। समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा कार्यालय में प्रेषित की जायेगी। संबंधित औद्योगिक पर्यवेक्षक व वस्त्र निरीक्षक द्वारा प्रत्येक बिल वाउचर आदि का भौतिक सत्यापन करने के बाद परिक्षेत्रीय सहायक आयुक्त हथकरघा द्वारा पूर्ण संस्तुष्ट हो जाने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र निदेशालय को प्रेषित किया जायेगा। उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ-साथ योजनान्तर्गत विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि से संबंधित समस्त बिल बाउचर की छाया प्रति परिक्षेत्रीय कार्यालय में रखी जायेगी।

1.11 (10) राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित प्रारूप -42(1) पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1.11 (11) योजनान्तर्गत सृजित परिसम्पत्तियां जैसे नया पावरलूम, कार्यशाला का 7 वर्षो तक बिक्री/हस्तानान्तरण/लीज नहीं किया जा सकेगा।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 767(1)/63-व0उ0-2016 तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को गोपन अनुभाग-1 के अशासकीय संख्या-4/2/7/2016-सी0एक्स(1), दिनांक 31 मई, 2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- मुख्य सचिव/सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0;प्र0 शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
5 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

संख्या- 767(2)/63-व0उ0-2014-190(एच)/14, तद्दिनांक-

प्रतिलिपि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनउ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में एवं अन्य प्रचार माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

आज्ञा से,

(हरिशंकर भट्ट)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in